कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

228

BLANK

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक फा -12-2/06/2/25 भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 1986

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः—कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना-नवीन मद 1986-87.

संदर्भः—आपका ज्ञापन क्रमांक छात्रवृत्ति/क्यू., दिनांक 30-1-86

राज्य शासन द्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक में स्पष्ट की गई इस योजना की रूपरेखा के अनुसार परिशिष्ट-2 में बताए गए राज्य के 88 विकासखण्डों में परिशिष्ट-तीन में वर्णित 38 अनुसूचित जनजातियों जिनमें महिला साक्षरता 5 प्रतिशत से कम है, उनकी कन्याओं को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण करने पर रुपये 250/- प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि देने हेतु ''कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना'' लागू करने के लिए रुपये 10.00 लाख (रुपये दस लाख) केवल के व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उपरोक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 86-87 में निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :—

''मांग संख्या-41-फा-मुख्य शीर्ष-288 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों का कलयण 08 आदिवासी क्षेत्र उपयोजनायें-0-014 छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां-0-52(2) अन्य छात्रवृत्तियां.''

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 2136/आर 2672/85, दिनांक 15-11-86 द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(बी. के. मिंज)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग.

परिशिष्ट "एक"

आदिम जाति कल्याण विभाग की

(एफ 12-2/86/2/25 का सहपत्र)

विषयः—कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की रूप रेखा.

परिशिष्ट (2) में उल्लेखित 88 विकासखण्डों में महिला साक्षरता का प्रतिशत 5 प्रतिशत से कम है. साथ ही परिशिष्ट (3) में उल्लिखित 38 अनुसूचित जनजातियाँ ऐसी हैं, जिनमें कि महिलाओं की साक्षरता 5% से कम है. यदि महिला साक्षरता की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाये गये तो 1990 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण के लोक व्यापीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा. यह योजना महिला साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में से एक प्रयास है. इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 88 विकास खण्डों (परिशिष्ट 2) में 38 जनजातियों (परिशिष्ट 3) की कन्याओं को कक्षा पांचवी उत्तीर्ण कर लेने पर 250 रुपये प्रति छात्रा के मान से विशेष प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जावेगी. प्रोत्साहन राशि संबंधित छात्रा को मनीआर्डर के जरिये भेजी जायेगी और मनीआर्डर की रसीद तथा राशि छात्रा को प्राप्त होने की पावती-पैरा-(4) में बताए रजिस्टर में चिपकाई जाएगी.

2. स्वीकृति के अधिकार उन्हीं अधिकारियों को होंगे, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को इस विभाग की राज्य छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार हैं.

3. **क्रियान्वयन की जिम्मेदारी.**—इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उन 88 विकासखण्डों के विकासखण्ड अधिकारियों की होगी. इनमें से जिन-जिन विकासखण्डों में इस वर्ष स्वीकृत किए जा रहे "विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ हो जाएंगे, उन विकासखण्डों में यह जिम्मेदारी" विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी.

4. **अभिलेख.**—इस योजना के अन्तर्गत जारी की जानी वाली स्वीकृतियों का एक रजिस्टर विकासखण्ड कार्यालय में संधारित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :—

(1) छात्रा का नाम

(2) पिता/पालक का नाम

(3) अनुसूचित जाति का नाम/अनु. जनजाति

(4) पता

(5) कक्षा पांचवीं की बोर्ड परीक्षा पास करने का वर्ष

(6) बोर्ड के प्रमाण-पत्र की सत्य प्रति.

5. **प्रचार/प्रसार.**—विकासखण्ड अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक प्राथमिक शाला को इस योजना की जानकारी देंगे. प्राथमिक शालाओं के प्रत्येक पालकों से संपर्क साधकर कन्याओं की शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे.

6. **अनुश्रवण.**—जनपद पंचायतों की बैठकों में विकासखण्ड में कन्या साक्षरता के प्रयास-चर्चा का अनिवार्य विषय होगा. विकासखण्ड अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर त्रैमासिक बैठकों में योजना की प्रगति का अनुश्रवण करेंगे.

7. **मूल्यांकन.**—इस योजना के मूल्यांकन की जिम्मेदारी आदिम जाति विकास एवं अनुसंधान संस्था की होगी.

8. **रिपोर्टिंग और सांख्यिकी.**—आदिवासी विकास आयुक्त, इस योजना के संदर्भ में रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण करेंगे और सांख्यिकी का संधारण करेंगे.

सही/-

(ओ. पी. मेहरा)

सचिव.

संचालनालय, हरिजन विकास

मध्यप्रदेश

क्रमांक/हरि.वि./छा./न.क्र. 35/9644

भोपाल, दिनांक 14-3-1990

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः—हरिजन कन्याओं की शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना नवीन मद 1989-90.

संदर्भः—मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ज्ञाप क्र. फा-12-115/89/2/25, दि. 3-3-90.

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप अनुसार शासन ने शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर 6वीं कक्षा में प्रवेश होने वाली हरिजन कन्याओं को रुपये 250/- प्रति कन्या की दर से प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत इस संचालनालय के पत्र क्रमांक बजट/89-90/न.क्र. 41/9578, दिनांक 9-3-90 द्वारा आवश्यकतानुसार आवंटन प्रसारित किया जा चुका है.

2. प्रोत्साहन राशि संबंधित छात्रा की मनीआर्डर के जरिये भेजी जायेगी और मनीआर्डर की रसीद तथा राशि छात्रा को प्राप्त होने की पावती पैरा-5 में बताए रजिस्टर में चिपकाई जाएगी.

3. स्वीकृति के अधिकार उन्ही अधिकारियों को होंगे जिन्हें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इस विभाग की राज्य छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार हैं.

4. **क्रियान्वयन की जिम्मेदारी.**—इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विकासखण्ड अधिकारियों की होगी. इनमें से जिन-जिन विकासखण्डों में इस वर्ष स्वीकृत किए जा रहे "विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ हो जाएंगे, उन-उन विकासखण्डों में यह जिम्मेदारी" विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की होगी.

5. **अभिलेख.**—इस योजना के अन्तर्गत जारी की जाने वाली स्वीकृतियों का एक रजिस्टर विकासखण्ड कार्यालय में संधारित किया जावेगा, जिसमें निम्नलिकित विवरण होंगे :—

(1) छात्रा का नाम

(2) पिता/पालक का नाम

(3) अनुसूचित जाति का नाम

(4) पता

(5) कक्षा पांचवीं की बोर्ड परीक्षा पास करने का वर्ष

(6) बोर्ड के प्रमाण-पत्र की सत्यप्रति

6. **प्रचार/प्रसार.**—विकासखण्ड अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक प्राथमिक शाला को इस योजना की जानकारी देंगे. प्राथमिक शालाओं के प्रत्येक शिक्षक पालकों से संपर्क साधकर कन्याओं की शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे.

7. **अनुश्रवण.**—जनपद पंचायतों की बैठकों में विकासखण्ड में कन्या साक्षरता के प्रयास-चर्चा का अनिवार्य विषय होगा. विकासखण्ड अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर त्रैमासिक बैठकों में हरिजन प्रगति का अनुश्रवण करेंगे.

8. **मूल्यांकन.**—इस योजना के मूल्यांकन की जिम्मेदारी आदिम जाति विकास एवं अनुसंधान संस्था की होगी.

9. **रिपोर्टिंग और सांख्यिकी.**—संचालक हरिजन विकास, इस योजना के संदर्भ में रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण करेंगे और सांख्यिकी का संधारण करेंगे.

हस्ता./-

संचालक

हरिजन विकास,

मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 12-115/89/2/25(4) भोपाल, दिनांक 24-2-1992.

प्रति,

संचालक,
अनुसूचित जाति विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः—हरिजन कन्याओं को प्रोत्साहन योजना.

संदर्भः—आपका पत्र क्र. शिक्षा/छात्रवृत्ति/8/91-92/2765, दिनांक 6-7-91.

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-3-90 द्वारा अनुसूचित जाति की कन्याओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देने के लिये कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर 6वीं कक्षा में प्रवेश होने वाली अनु. जाति की कन्याओं को रुपये 250/- प्रति कन्या की दर से प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी.

अब राज्य शासन अनु. जाति की कन्याओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रुपये 250 से बढ़ाकर रुपये 500/- प्रदान करने की स्वकृति प्रदान करता है.

उक्त प्रोत्साहन राशि की पात्रता केवल उन छात्राओं को लागू नहीं होगी, जिनके पालक/अभिभावक आयकरदाता है.

उक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान माह जुलाई में एक मुश्त के बजाय जुलाई माह में पहली किश्त के रुप में 250/- तथा द्वितीय किश्त के रूप में 250/- जनवरी माह में प्रदाय किया जाय, जिससे जो कन्यायें सत्र के मध्य में पढ़ाई छोड़ दें, उन्हें जनवरी में किश्त का भुगतान न किया जाय.

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

"मांग संख्या-64-फा-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-0603-हरिजनों के लिये विशेष घटक योजना, भारत सरकार के अलावा राशियां हरिजन विशेषांश योजना-4691-हरिजन कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजना 14 आर्थिक सहायता."

यह स्वीकृति म. प्र. शासन वित्त विभाग, भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक 75/SR-38/IV/B-5/92, दिनांक 12-2-92 द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकिन की गई हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 12-136/92/2/25 भोपाल, दिनांक 27-4-1993

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः—आदिवासी कन्या शिक्षा योजना में संशोधन एवं विस्तार 1993-94.

संदर्भः—आपका ज्ञापन क्रमांक रा. छा./32492, दिनांक 21-10-92.

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय ज्ञापन क्रमांक फा 12-2/86/2/25, दिनांक 30-10-86 द्वारा 88 विकासखण्डों में वर्णित 38 अनुसूचित जनजातियों, जिनमें साक्षरता का प्रतिशत 5 प्रतिशत से कम था, की कन्याओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पांचवी उत्तीर्ण करने पर रु. 250/- प्रति छात्रा प्रोत्साहन पुरस्कार देने की स्वीकृति जारी की गई थी.

2. अब राज्य शासन प्रदेश के सभी 45 जिलों में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर 6वीं कक्षा में प्रवेश पाने वाली अनुसूचित जनजाति की कन्याओं को रु. 250/ से बढ़ाकर रु. 500/- प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करता है. बढ़ी हुई दरें 1-4-93 से लागू होंगी. उक्त प्रोत्साहन राशि की पात्रता केवल उन अनु. जनजाति की छात्राओं को लागू नहीं होगी, जिनके पालक/अभिभावक आयकर दाता हैं. जिन छात्राओं को कन्या साक्षरता अन्तर्गत (मनीषा योजना में) बाईसिकलों का प्रदाय होगा, उन्हें उक्त राशि की पात्रता नहीं होगी.

3. उक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान दो किश्तों में किया जावेगा. माह जुलाई में पहली किश्त के रूप में रू. 250/- तथा माह जनवरी में द्वितीय किश्त के रूप में 250/- का प्रदाय किया जावेगा. जो कन्यायें सत्र के मध्य में पढ़ाई छोड़ दें, उन्हें जनवरी में किश्त का भुगतान न किया जाए.

4. उक्त व्यय 1993-94 के निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :—

"मांग संख्या-41-मुख्य शीर्ष-2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-602-जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता-800-अन्य योजना-5014-प्राधिकरणों के लिए अनाबद्ध राशि-23-अन्य प्रभार."

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 377/SR-188/IV/B-5/93, दिनांक 3-5-93 द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वलियर को पृष्ठांकित की गई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(डॉ. ओ. पी. अग्रवाल)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग.

संचालनालय अनुसूचित जाति विकास

मध्यप्रदेश

क्रमांक शिक्षा/93/4843 भोपाल, दिनांक 13-10-1993

प्रति,

कलेक्टर (सर्व)
मध्यप्रदेश.

विषय:—अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना.

अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना वर्ष 1989-90 से संचालित है. वर्ष 1989-90 से वर्ष 1990-91 तक इस योजनान्तर्गत रु. 250/- दिए जाते थे, जो वर्ष 1991-92 में बढ़ाकर रु. 500/- कर दिए गए हैं. इस योजना के क्रियान्वयन में जिलों में एकरूपता नहीं है. कहीं जिला संयोजक स्वीकृत करते हैं तो कहीं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तो कहीं प्राचार्य उसी प्रकार वितरण की प्रक्रिया भी अलग-अलग है. अतः सुविधा एवं एकरूपता के लिए निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:—

(1) **स्वीकृति की प्रक्रिया :**

प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के अधिकार उन्हीं अधिकारियों को है, जिन्हें राज्य छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार हैं. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञापन क्र. रा. छा./232/29934-35, दिनांक 30-9-91 के अनुसार राज्य छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार माध्यमिक शालाओं एवं उच्च माध्य. शालाओं के शाला प्रमुखों को दिए गए हैं. तदनुसार शाला प्रमुख ही राज्य छात्रवृत्ति एवं कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम हैं.

(2) **वितरण की प्रक्रिया :**

राज्य छात्रवृत्ति बैंकों के माध्यम से वितरित की जाती है. नगदी में केवल उन्हीं संस्थाओं में शाला समिति के समक्ष वितरित की जाती है, जहां बैंक व्यवस्था नहीं है. तदनुसार कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि का वितरण राज्य छात्रवृत्ति के समान ही बैंक के माध्यम से किया जावे. नगदी के रूप में केवल ऐसी संस्थाओं में वितरित की जावे, जहां बैंक नहीं है.

(3) **वितरण दो किश्तों में :**

रु. 500/- का वितरण दो किश्तों में राज्य छात्रवृत्ति के साथ ही रु. 250/- माह जुलाई में तथा रु. 250/- माह जनवरी में किया जाता है. जो छात्राएं सत्र के मध्य में पढ़ाई छोड़ देती हैं, उनको अंतिम किश्त की पात्रता नहीं है.

हस्ता./-
संचालक
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश.

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि. शाला/4/98-99/25522 भोपाल, दिनांक 7/10-9-98

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
(मध्यप्रदेश)
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत (म. प्र.)

विषय:—कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। मद के अन्तर्गत आवंटन एवं योजना का क्रियान्वयन.

संदर्भ:—कार्यालयन पत्र क्रमांक बजट/उपयोजना/98-99/21296, दिनांक 31-7-98.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए. संदर्भित पत्र द्वारा आपको कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के लिए राशि जिलावार आवंटित की गई है. इस राशि के उपयोग के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें.

संदर्भित पत्र द्वारा आवंटित राशि का उपयोग मार्च 1998 में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा जुलाई 1998 में छठवीं कक्षा में प्रवेशित छात्राओं को ही प्रोत्साहन राशि देने के लिए किया जाएगा. **पूर्व वर्षों की बकाया राशि के लिये इसका उपयोग नहीं किया जाएगा. अन्यथा उपयोग करने वाले अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से राशि की वसूली की जाएगी.**

आवंटित राशि की उपयोगिता के संबंध में दोनों किश्तों का आकलन 15 सितम्बर तक किया जाए तथा यदि आवंटित राशि आवश्यकता से अधिक अथवा कम है तो संलग्न प्रपत्र 1 के अनुसार जानकारी 30 सितम्बर 98 तक अनिवार्यतः मुख्यालय पर उपलब्ध कराई जावे.

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत भुगतान की जाने वाली राशि निम्नानुसार दो किश्तों में दी जावेगी :—

किश्त	भुगतान तिथि	देय राशि
प्रथम किश्त	**सितम्बर 98 तक**	250/-
द्वितीय किश्त	**जनवरी 99 तक**	250/-

सत्र के मध्य में पढ़ाई छोड़ने वाली छात्रा को द्वितीय किश्त की पात्रता नहीं होगी. यह राशि प्रदेश के सभी जिलों की पात्र छात्राओं को देय है. परन्तु यह राशि उन छात्राओं को देय नहीं होगी, जिनके पिता या पालक आयकर दाता है.

4. राशि स्वीकृति के लिये जुलाई 1998 में कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक आदिवासी छात्रा की जानकारी निम्न प्रपत्र में प्रधान पाठक द्वारा अपने केन्द्र पाठक को दी जायेगी.

क्रमांक	छात्रा का नाम मय पिता का नाम	निवास एवं पूर्ण पता	विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की	कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	अंकों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि	मनीषा योजना में सायकल तो नहीं दी गई	पिता/पालक का रोजगार	पिता/पालक की वार्षिक आय	पिता/पालक आयकर दाता है या नहीं	हस्ताक्षर छात्रा	हस्ताक्षर पालक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

नोट.— वार्षिक आय के लिये छात्रा के पिता या पालक की आय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत होगा. शासकीय या अशासकीय सेवक के लिंये आय प्रमाण-पत्र कार्यालय प्रमुख से प्रति हस्ताक्षरित प्रमाणित होगा, आयकर दाता की पुत्रियों को यह लाभ देय नहीं होगा.

5. केन्द्र पाठक अपनी समस्त शालाओं का गोश्वारा बनाकर मूल प्रस्ताव सहायक शाला निरीक्षक या विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे जो तत्काल जिले के राशि स्वीकर्ता अधिकारी को भेजें जायेंगे. यहां राशि स्वीकर्ता अधिकारी वही अधिकारी माने जायेंगे जिन्हें छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत करने के लिए अधिकार दिये गये हैं.

6. स्वीकर्ता अधिकारी पहली किश्त की राशि 250/- रुपये छात्रा के पालक के नाम का क्रास चेक या विड्रावल फार्म बनाकर उसी माध्यम से शालाओं को भुगतान हेतु भेजेगा. शाला में चेक प्राप्त होने पर शाला प्रधान छात्रा के पालक या पिता को बुलाकर चेक की पीठ पर उनके हस्ताक्षरत/अंगूठा निशानी लेगा तथा स्वयं अपने हस्ताक्षर एवं सील से पिता/पालक के हस्ताक्षर सत्यापित करेंगे तदुपरान्त उसी प्रपत्र के कार्यालयीन रजिस्टर या कार्यालयीन प्रति पर छात्रों के नाम के सामने चेक या विड्रावल फार्म का नम्बर दिनांक एवं राशि लिखकर पिता/पालक के हस्ताक्षर लेकर उपरोक्त चेक पालक को सौंप दिया जायेगा. जो निर्धारित बैंक के काउण्टर पर जाकर बैंक से उपरोक्त राशि ले लेगें. दूसरी किश्त के चेक जारी करने के लिये स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी. परन्तु दूसरी किश्त जारी करने के पूर्व स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा नवम्बर अंत तक शाला छोड़कर जाने वाली छात्राओं की सूची बुलवा ली जायेगी तथा उनके चेक दूसरी किश्त के नहीं बनाये जावेंगे.

7. छात्रा को पुरस्कार की राशि की पात्रता छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति आदि के साथ अतिरिक्त रूप में रहेगी. जिस बैंक से छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान होता है. उसी बैंक शाखा पर पुरस्कार राशि का छात्रा के पालक को क्रास चेक दिया जाएगा. यदि बैंक प्रणाली अमल में नहीं है तो नगद राशि का वितरण शाला समिति की उपस्थिति में किया जाए और प्रमाणीकरण अभिलेखों में रखा जावे.

8. पहली और दूसरी किश्तों के भुगतान के संबंध में निर्धारित अभिलेखों एवं चेक के रख-रखाव में सावधानियों का पालन किया जावे. जिला अधिकारी प्रस्ताव आमंत्रण करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी से जिले की 5वीं कक्षा उत्तीर्ण आदिवासी छात्राओं की पूर्ण विवरण युक्त सूची भी प्राप्त कर लेंगे. प्रस्ताव भेजने की जिम्मेदारी शाला प्रधान पाठक तथा केन्द्रवार संलग्न का उत्तरदायित्व केन्द्र पाठक/सहायक शाला निरीक्षक/विकासखण्ड अधिकारी का एवं समय पर स्वीकृति तथा चेक्स जारी करने की जिम्मेदारी स्वीकृतिकर्ता (सक्षम अधिकारी) की है. पूर्ण तालमेल तथा समयबद्ध रूप से सभी स्तरों पर कार्यवाही पूरी की जायेगी.

9. विगत वर्षों की बकाया राशि के संबंध में पृथक् से निर्देश/आवंटन जारी किया जायेगा. संलग्न सूची अनुसार जिलों में वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिये योजनान्तर्गत आवश्यक राशि संबंधी विवरण अप्राप्त है, जो दिनांक 3 सितम्बर 1998 तक अनिवार्यत: उपलब्ध करायें.

10. वर्ष 1998-99 में जिले में अनुसूचित जनजाति/जाति की कितनी छात्राएं कक्षा पांचवीं में अध्ययनरत हैं. जिन्हें आगामी वर्ष में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत राशि दी जाना प्रस्तावित रहेगा, इसकी जानकारी भी संलग्न प्रपत्र-1 में दी जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(एम. के. सिंह)
अपर आयुक्त,
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/शि. शाला/4/98-99/25523 भोपाल, दिनांक 7/10-9-98

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण, मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.
3. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.
4. समस्त जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश.

की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश सहित प्रेषित.

हस्ता./-
(एम. के. सिंह)
अपर आयुक्त,
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश.